

समाहरपालय मधेपुरा
(जिला स्थापना शाखा)

आदेश:-

बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 53वीं से 55वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतिप्रयोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार ग्रामीण विकास सेवा के लिए ग्रामीण विकास विभागीय अधिसूचना सं०-167414, दिनांक-25.10.2013 द्वारा अनुसूचित अभ्यर्थियों में से श्री दिवाकर कुमार जिनका नाम उक्त अधिसूचना के क्रमांक 240 पर अंकित है वे बिलम्ब से दिनांक-13.02.14 को ब्योगदान समर्पित किया है।

सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-166933, दिनांक-23.10.2013 द्वारा उप विकास आयुक्त को इस प्रशिक्षण कार्य के लिए नोडल पदाधिकारी नामित किया गया है। नोडल पदाधिकारी विभाग और बिपार्ड से प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करते हुए निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार गुणवत्ता युक्त प्रशिक्षण सुनिश्चित करवायेंगे। साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित पदाधिकारी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नियमित तरीके से प्रशिक्षण ग्रहण कर रहे हैं।

विभागीय पत्र सं०-166933, दिनांक-23.10.2013 के आलोक में समूह वार प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्व से निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त यह भी निदेश दिया गया है कि ब्योगदान करने वाले पदाधिकारियों को यथासंभव चार बराबर समूह (क, ख, ग एवं घ) में विभक्त कर दिया जाय एवं यह सुनिश्चित किया जाय कि हर समय एक चौथाई पदाधिकारी सांस्थिक प्रशिक्षण के तहत बिपार्ड में तथा तीन चौथाई पदाधिकारी क्षेत्रीय प्रशिक्षण में सम्बद्ध रहेंगे। महानिदेशक, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, बाल्मी परिसर, फुलवारीशरीफ, पटना के पत्रांक-378, दिनांक-06.11.13 के अनुसार निम्न प्रकार एक वर्ष का प्रशिक्षण कार्यक्रम विभक्त किया जाता है :-

1	प्रथम चरण सांस्थिक प्रशिक्षण	12 सप्ताह बिपार्ड में
2	क्षेत्रीय प्रशिक्षण	
	(i) जिला स्तरीय प्रशिक्षण	5 सप्ताह
	(ii) पी०डब्लू०डी०/पी०एच०ई०डी० प्रशिक्षण	1 सप्ताह
	(iii) कोषागार प्रशिक्षण	4 सप्ताह
	(iv) अनुमंडल स्तरीय प्रशिक्षण	4 सप्ताह
	(v) प्रखण्ड स्तरीय प्रशिक्षण	4 सप्ताह
	(vi) ग्राम पंचायत स्तरीय प्रशिक्षण	4 सप्ताह
	(vii) प्रखण्ड का स्वतंत्र प्रभार	14 सप्ताह
3	द्वितीय चरण का सांस्थिक प्रशिक्षण	2 सप्ताह
4	भारत दर्शन एवं बिहार राज्य के बाहर के किसी ग्रामीण विकास संस्थान में प्रशिक्षण	2 सप्ताह
	कुल प्रशिक्षण अवधि	52 सप्ताह

वर्तमान में बिलम्ब से ब्योगदान करने वाले पदाधिकारी श्री दिवाकर कुमार को समूह 'घ' में शामिल कर प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्गत किया जाता है, जो इस पत्र के साथ संलग्न है। संबंधित परीक्ष्यमान, ग्रामीण विकास पदाधिकारी को आदेश दिया जाता है कि वे उपरोक्त कार्यक्रम के अनुसार अधोहस्ताक्षरी एवं उप विकास आयुक्त मधेपुरा के नियंत्रण एवं मार्गनिर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे तथा प्रत्येक माह में 2 बार (15-15 दिनों पर) प्रशिक्षण से संबंधित प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के माध्यम से महानिदेशक, बिपार्ड, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना, को समर्पित करेंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

60
जिलाधिकारी
मधेपुरा।

परीक्ष्यमान, ग्रामीण विकास पदाधिकारी, मधेपुरा का क्षेत्रीय प्रशिक्षण

समूह घ

जिला/कोषागार प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्र०	विभाग/शाखा का नाम	प्रशिक्षण की अवधि	तिथि (समूह घ)
1	कोषागार प्रशिक्षण	4 सप्ताह	17.02.14 से 16.3.14
2	न्यायिक प्रशिक्षण	1 सप्ताह	18.03.14 से 24.3.14
3	डी०आर०डी०ए०	1 सप्ताह	25.03.14 से 31.3.14
4	जिला परिषद्, मधेपुरा	3 दिन	01.04.14 से 03.04.14
5	लीड बैंक	1 दिन	4/4/2014
6	जिला जनशिकायत/लोकायुक्त/लोक सूचना कोषांग	1 दिन	5/4/2014
7	जिला पंचायत शाखा	1 दिन	7/4/2014
8	जिला कल्याण शाखा	1 दिन	9/4/2014
9	जिला विकास शाखा	1 दिन	10/4/2014
10	जिला योजना शाखा	1 दिन	11/4/2014
11	जिला सामाजिक सुरक्षा शाखा	1 दिन	12/4/2014
12	एन०आई०सी०/आर०टी०पी०एस० कोषांग	1 दिन	15/4/2014
13	जिला प्रोग्राम शाखा	1 दिन	16/4/2014
14	जिला सामान्य शाखा	2 दिन	17-18/4/2014
15	जिला विधि शाखा	1 दिन	19/4/2014
16	जिला नजारत शाखा	2 दिन	21-22/4/2014
17	जिला नीलाम पत्र शाखा/जिला अभिलेखागार शाखा	1 दिन	24/4/2014
18	जिला स्थापना शाखा	2 दिन	25-26/4/2014
19	जिला लेखा शाखा	1 दिन	28/4/2014
20	जिला राजस्व एवं भू-अर्जन शाखा	1 दिन	29/4/2014
21	जिला आपूर्ति शाखा	1 दिन	30/4/2014
22	जिला परिवहन शाखा	1 दिन	2/5/2014
23	जिला आपदा प्रबंधन शाखा	1 दिन	3/5/2014
24	सिविल सर्जन का कार्यालय, मधेपुरा	1 दिन	5/5/2014
25	कार्यपालक अभियंता, पी०डब्लू०डी०/पी०एच०ई०डी०, मधेपुरा	1 सप्ताह	06.05.14 से 12.05.14

12/02/14
जिलाधिकारी,
मधेपुरा

28